265

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

कमांकः–नर्सिंग/एनआरएचएम/जीएनएम/09/101 दिनांकः– 28/2/09

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

राजस्थान ।

विषयः– एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबन्ध के आधार पर रखे गये जी.एन.एम. की सूचना भिजवाने हेतु।

–:–

उपरोक्त विषय में लेख है कि एनआरएचएम योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में जिला स्तर पर आपके द्वारा एवं द्वितीय चरण में राज्य स्तर पर निदेशालय स्तर से व्यक्तिगत अनुबन्ध के आधार पर चयनित जी.एन.एम. आपके जिले को आवंटित/पदस्थापित किये गये थे। प्रथम चरण में जिलेवार चयन किये जाने के बिन्दू के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 741/08 श्री संतलाल यादव व अन्य बनाम सरकार दायर हुई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 8.5.08 को पारित निर्णय की पालना में दोनों चरणों में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुये राज्य स्तरीय वरीयता सूची दिनांक 28.2.09 को जारी की जा चुकी है । इस वरीयता सूची के वे अभ्यर्थी जो वर्तमान में जिले में अनुबन्ध पर कार्यरत हैं, आगे भी यथावत उसी स्थान पर कार्य करते रहेगें । इस सूची में सम्पूर्ण राज्य के ऐसे अभ्यर्थियों के नाम अंकित है, जिसमें आपके जिले में कार्यरत अभ्यर्थी भी शामिल हैं । अतः आपके जिले के उन अभ्यर्थियों की छंटनी कर उनकी **सूची प्रपत्र – अ** में तैयार कर एक प्रति निदेशालय को प्रेषित करें, साथ ही, उन सभी अभ्यर्थियों को भी लिखित में इस बाबत सूचित करें ।

आपके जिले में एनआरएचएम योजना के तहत कार्यरत वे जीएनएम जो, निदेशालय द्वारा दिनांक 28.2.09 को जारी इस वरीयता सूची में स्थान बनाने में असफल रहे हैं, उनका अनुबन्ध किसी भी स्थिति में 31.3.09 के बाद नवीनीकरण नहीं किया जावे तथा उनकी, पूर्ण विवरण सहित, सूची **प्रपत्र – ब** में प्रेषित करें ।

ऐसे जीएनएम जो इस सूची में है, तथा पूर्व में आपके जिले में कार्यरत रहे हैं, किन्तु वर्तमान में अनुबन्ध छोड कर जा चुके हैं, उनकी सूची भी **प्रपत्र – स** में प्रेषित करें।

वरीयता सूची विभाग की वेबसाईट **www.rajswasthya.nic.in** से प्राप्त करें। उक्त तीनो प्रपत्रो से संबंधित सूचना अलग–अलग तैयार कर 15 दिवस में विशेष वाहक (संबंधित लिपिक) के साथ हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में भिजवावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान जयपुर

कमांकः–नर्सिंग/एनआरएचएम/जीएनएम/09/101 दिनांकः– 28/2/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर ।
3. निजी सचिव, परियोजना निदेशक, एनआरएचएम, मुख्यालय ।
4. निदेशक (जन स्वा0/प0क0/एड्स) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर ।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन.............................
6. निजी पत्रावली ।

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान जयपुर

प्रपत्र – अ

जिले का नामः–.................................

नवीनतम वरीयता सूची में चयनित एवं जिले में वर्तमान में कार्यरत जी.एन.एम. से संबंधित विवरणः–

क.सं.	दि0 28.2.09 को जारी वरीयता सूची का कमांक	अभ्यर्थी का एवं पिता / पति का नाम	जन्म तिथि	जाति वर्ग	अन्य विशिष्टि, यथाः विधवा / विकलांग / टीएसपी / भू.पू.सै. / कोर्ट आर्डर	प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

प्रपत्र – ब

जिले का नामः–.................................

वर्तमान में कार्यरत ऐसे अभ्यर्थियों का विवरण जो जिले में कार्यरत हैं किन्तु राज्य स्तरीय वरीयता सूची दि0 28.2.09 में स्थान बनाने में असफल रहे हैं :–

क.सं.	अभ्यर्थी का एवं पिता / पति का नाम	जन्म तिथि	जाति वर्ग	अन्य विशिष्टि यथा विधवा / विकलांग / टीएसपी / भू.पू.सै. / कोर्ट आर्डर	प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत	वि0 वि0 / कार्य व्यवहार पर संक्षिप्त टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

प्रपत्र – स

जिले का नामः–.................................

प्रथम एवं द्वितीय चरण के ऐसे अभ्यर्थियों का विवरण जो नवीनतम वरीयता सूची में हैं किन्तु वर्तमान में अनुबन्ध छोड कर जा चुके हैं । :–

क.सं.	दि0 28.2.09 को जारी वरीयता सूची का कमांक	अभ्यर्थी का एवं पिता / पति का नाम	जन्म तिथि	जाति वर्ग	अन्य विशिष्टि, यथाः विधवा / विकलांग / टीएसपी / भू.पू.सै / कोर्ट आर्डर	अनुबंध छोडकर जाने का दिनांक / कारण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.